आवेदन क्रमांक   आवेदन पत्र मूल्य रू.1000/-

इन्दौर शहर मे क्षेत्रीय साँची दुग्ध पदार्थ/मक्खन/स्किम्ड मिल्क पावडर वितरक नियुक्ति हेतु।

आवेदन पत्र

2017-18

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535   FAX 2811559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉंची दुग्ध पदार्थ, मक्खन, स्किम्ड मिल्क पावडर
– क्षेत्रीय वितरक नियुक्ति –

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :–

–	समाचार पत्र विज्ञापन (छायाप्रति)	–	01 पेंज
–	आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण	–	01 पेंज
–	मार्ग विवरण (04 मार्ग)	–	01 पेंज
–	तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 01)	–	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 01 से 02)
–	नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 02)	–	03 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 03 से 05)
–	आवेदन पत्र (हस्तलिपि से भरा जाना है)	–	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 06 से 07)
–	अनुबंध का प्रारूप (प्रपत्र 03)	–	04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 08 से 11)

-X-

GH & I P

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

दूरभाष 0731- 2802535 , FAX - 2811559

“ क्षेत्रीय वितरक नियुक्त करना है ”

इन्दौर शहर मे सॉची ब्राण्ड के इंडीजीनस दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्किम्ड मिल्क पावडर के लिये क्षेत्रीय वितरक नियुक्ति हेतु चार पृथक–पृथक क्षेत्र के लिये आवेदन इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से दिनांक 22/07/17 को दोपहर 1.30 बजे तक निर्धारित प्रारूप मे आमंत्रित है। निर्धारित आवेदन पत्र एवं शर्ते रू. 1000/- के नगद भुगतान पर संघ कार्यालय से दिनांक 22/07/17 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

आवेदन सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी आवेदन विवरण देखा जा सकता है। किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

GH & I P

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मार्गलिया, इन्दोर

इन्दौर शहर के चार क्षेत्रों मे क्षेत्रीय सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन, स्किम्ड मिल्क पावडर विक्रय वितरण हेतु आवेदन प्रस्तुती विवरण

(1)	आवेदन फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	22/07/2017 दोप.1.00 बजे तक।
(2)	आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	22/07/2017 दोप.130 बजे तक।
(3)	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय।	▪	22/07/2017 दोप.3.00 बजे।
(4)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू.15,000/-अक्षरी रू. पन्द्रह हजार मात्र)
(5)	आवेदन खोलने का स्थान	▪	इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या. चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
(6)	वितरक हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(7)	वितरक की सामान्य शर्ते	▪	प्रपत्र 02
(8)	अनुबंध प्रारूप।	▪	प्रपत्र 03

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

– प्रपत्र कमांक 01 ''तकनीकी अर्हताये'' प्रपत्र कमांक 02 ''आवेदन की शर्ते एवं अनुबंध प्रपत्र 03'' बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे **इन्दौर शहर मे क्षेत्रीय सॉची दुग्ध पदार्थ , मक्खन, स्किम्ड मिल्क पावडर वितरक एजेन्सी** के लिये आवेदनकर्ता का नाम एवं पता अंकित किया जावे।

– आवेदन प्रपत्र कमांक 02 मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी।

-X-

सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन, स्किम्ड मिल्क पावडर हेतु क्षेत्रीय वितरकशिप मार्ग विवरण

	अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र
क्षेत्र कमांक 01	डेरी गेट पार्लर, देवास नाका, निरजंनपुर, निपानिया रोड, बायपास, ओमेक्स सिटी, तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर, बाम्बे हास्पीटल, सत्य सॉई चौराह, विजय नगर स्कीम नं 54 & 74, 78 एवं राजीव आवास विहार, स्कीम नं. 114, शीतल नगर, मालवीय नगर, रामकृष्ण बाग, तपेश्वरी बाग, सॉई कृपा कालोनी, सुखलिया, बापट चौराह, श्याम नगर, लवकुश, नगर, गौरी नगर, अभिनन्दन नगर, खातीपुरा मेन रोड, I.T.I. रोड, क्लर्क कालोनी, नन्दा नगर, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, भागीरथ पुरा, कुलकर्णी भट्टा,, मालवामिल, नेहरू नगर, L.I.G., M.I.G. अम्बेडकर नगर,, जगजीवनराम नगर, जनता क्वार्टर, आयोध्या नगरी, सुभाष नगर, बजरंग नगर, भमोरी, मेघदूत नगर, रसोमा क्षेत्र।
क्षेत्र कमांक 02	अनोप नगर, श्रीनगर, आनन्द बाजार, साकेत नगर, खजराना, ओल्ड पलासिया, तिलक नगर, बखतावर राम नगर, कनाडिया, गीताभवन, बंगाली चौराह, टेलीफोन नगर, ग्रेटर कैलाश, वैभव नगर, बिजली नगर, संचार नगर, वन्दना नगर, बिचौली बायपास, बिचोली हाप्सी, लालाराम नगर, मनोरमागंज, रविन्द्र नगर, सेन्टपॉल स्कूल, आजाद नगर, डेली कालेज, मुसाखेडी, पालदा नगर, देवगुराडिया, तीन ईमली, चितावत रोड, लिम्बोदी, कस्तुरबा ग्राम, सिल्वर स्प्रींग, बायपास, चमेली देवी इंजीनियरिंग कालेज, खंडवा रोड, भवॅर कुऑ, मयुर नगर, पिपलिया हाना, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, इन्द्रपुरी, विष्णुपुरी, राजीव गॉधी सर्कल, स्कीम नं 140 क्षेत्र।
क्षेत्र कमांक 03	छप्पन दुकान, पलासिया, जंजीरवाला चौराह, रानीसती गेट, रेन्टल चौराह, राजानी बिल्डींग, नाथ मंदिर, रीगल चौराह, RNT मार्ग, तुकोगंज, मधुमिलन, सरवटे बस स्टेण्ड, छावनी, अग्रसेन चौराह, सपना संगीता रोड, सिन्धी कालोनी, टॉवर चौराह, जूनी इन्दौर, चिडियाघर, M.Y. हास्पीटल, सियागंज, रानीपुरा, MTH कम्पाउंड, कोठारी मार्केट, गुजराती कालेज, राजवाडा, खजूरी मार्केट, इमली बाजार, नरसिंह बाजार, मारोठिया, मालगंज, लोदीपुरा, छत्रीपुरा, बियाबानी, राजमोहल्ला, बडा गणपति, पंढरीनाथ।
क्षेत्र कमांक 04	मरीमाता चौराह, पोलोग्राउंड, बाणगंगा, गोविन्द नगर, सावेंर रोड, एरोड्रम रोड, कालानी नगर, वेकंटेश नगर, रामचन्द्र नगर, शिक्षक नगर, जानकी नगर, गॉधी नगर, स्कीम नं 51, 15 वीं बटालियन, हुंकारगिरी, गोम्मटगिरी, बिजासन, गंगवाल बस स्टेण्ड, धार रोड, नूरानी नगर, जवाहर टेकरी, चन्दन नगर, राजनगर, स्कीम न. 71, फूटी कोठी चौराह, सूर्यदेव नगर, केट रोड, रेती मंडी, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड, राजेन्द्र नगर, राऊ, सिलीकॉन सिटी, सुदामा नगर, रणजीत नगर, उषा नगर, लोकमान्य नगर, केशर बाग, चौइथराम मंडी अभिषेक नगर।

नोट :— उपरोक्त वितरण क्षेत्रों मे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/कम—ज्यादा/नवीन क्षेत्र जोडे अथवा कम किये जा सकते है।

(तकनीकी अर्हतायें)

प्रति, प्रपत्र -01

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– इन्दौर शहर मे सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्किम्ड मिल्क पावडर के वितरण – विक्रय हेतु क्षेत्रीय वितरक नियुक्ति बाबद।

महोदय,

इन्दौर शहर मे सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्किम्ड मिल्क पावडर वितरकशिप कार्य हेतु दिनांक /2017 को दैनिक भास्कर, समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 15,000/- (अक्षरी रू पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक 2017 जो कि बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या, इन्दौर के कार्यालय मे रसीद क्रमांक दिनांक से नगद जमा की है।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	आवेदक का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	टिन नम्बर/GST पंजीयन नम्बर।		टिन नम्बर/ GST पंजीयन नम्बर। की छायाप्रति संलग्न करें।

GH & I P

……/2/….

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र -01

6.	बैंक खाता कमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7.	वित्तीय वर्ष 2014 -15 2015 -16 2016 -17 विकय कर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग मे रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
8.	दुग्ध पदार्थ व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव। (कितने वर्षो का दर्शावे)		
9.	पूंजी निवेश क्षमता रूपये (लाख मे)		
10.	व्यवसायिक साख (वर्तमान व्यवसाय टर्न ओव्हर बेलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें)		
	वर्ष 2014 – 15 वार्षिक टर्न ओव्हर रू. (लाख मे) वर्ष 2015 – 16 " " " " (" ") वर्ष 2016 – 17 " " " " (" ")		
11.	इफ्रांस्ट्रक्चर जानकारी :–		

नोट :–

1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र कमांक 01 निविदा की शर्ते प्रपत्र कमांक 02 एवं अनुबंध प्रारूप प्रपत्र 03 एक साथ सीलबन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करना होगी।

3- उपरोक्त जानकारीयों मे से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ....

नाम – – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –

Mob No.

GH & I P

(टेकनीकल बीडं)
प्रपत्र क्रमांक– 02

सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्किम्ड मिल्क पावडर वितरक हेतु आवेदन

प्रस्तुत करने की आवश्यक शर्ते

(1) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक क्षेत्र हेतु पृथक – पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक को दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्किम्ड मिल्क पावडर के व्यवसाय से संबंधित उत्पादों के वितरण का अनुभव होना चाहिये, इस क्षेत्र मे अनुभव रखने वाली पार्टीयों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

(3) आवेदक को दुग्ध पदार्थ, एवं मक्खन का वितरण पूर्णतः रेफ्रीजरेटेड वाहन से करना अनिवार्य है।

(4) आफॅर स्वीकार होने की स्थिति मे आवेदनकर्ता को दुग्ध पदार्थो के शीतलीकरण भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिये।

(5) जिनके पास दुग्ध पदार्थो को दिनभर शीतलीकरण अवस्था मे रखकर विक्रय करने हेतु फ्रिजिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

(6) वितरक नियुक्ति होने पर आवंटित क्षेत्र की सभी दुकानों पर नियमित रूप से वितरण करना होगा।

(7) आवेदनकर्ता के पास आयकर पान नम्बर एवं G.S.T. पंजीकरण टेक्स नम्बर होना चाहिये।

(8) आवेदक को आवेदन के साथ रू. 15,000/- (अक्षरी रू पन्द्रह हजार मात्र) डी.डी./नगद अर्नेस्टमनी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर) के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति मे आवेदक के आवेदन पर विचार नही किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगे।

(9) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नही करने पर आवेदक की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(10) आवेदनकर्ता का आवेदन मान्य करने की स्थिति मे निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ मे जमा करना अनिवार्य है। जिसमे नगद रू. 1.00 लाख जमा करना अनिवार्य होगा, साथ ही संघ के वित्तीय व्यवहार के लिये वितरक को स्टेट बैंक आफॅ इंडिया अथवा एक्सिस बैंक की स्थानीय शाखा मे खाता खोलना होगा, एवं उसी बैंक की चैक बुक वित्तीय व्यवहार हेतु संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं संघ की राशि नवीन नीति अनुसार R.T.G.S./ N.E.F.T. के द्वारा संघ के बैंक खाते मे दुग्ध पदार्थ प्रदाय के पूर्व अग्रिम जमा करना होगी।

……/4/….

(टेकनीकल बीडं)

प्रपत्र कमांक– 02

(11) व्यवसाय मे वृद्धी होने पर अमानत के रूप मे तीन दिवस के दुग्ध पदार्थ विक्रय राशि के बराबर बैंक ग्यारन्टी संघ मे जमा कराना होगी।

(12) आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

(13) आवेदन स्वीकृति की स्थिति मे सफल आवेदनकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध रू. 1000/- के नाॅन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा।

(14) किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(15) आवेदन प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है, जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढकर समझ ले।

(16) प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 प्रपत्र -3 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

(17) आवेदन स्वीकृति के उपरांत वितरक को कार्य अवधि दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक का कार्य दो वर्षो की अवधि मे संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक – एक वर्ष कर दो बार बढायी जा सकेगी।

(18) कार्य आदेश मे वर्णित सभी औपचारिकताये निर्धारित अवधि मे पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि मे कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंध द्वारा निर्णय लेने पर अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

…../5/….

(19) वितरक का चयन आवेदक की पूर्व व्यवसायिक साख टर्न ओव्हर, पूंजी लगाने की क्षमता, FMCG व्यवसाय का अनुभव, एवं उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जावेगा।

मेरे द्वारा सॉची दूध वितरकशिप का आवेदन प्रपत्र एवं अनुबंध की समस्त शर्ते पढ व समझ ली गई है तथा मै/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूॅ/है। निविदा मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा मे प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 19 तक वर्णित शर्तो का पालन नही करता हूॅ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय प्रबंध द्वारा किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूॅ।

दिनांक

—हस्ताक्षर—

(आवेदक का नाम एवं पता)

GH & I P

……/6/…

प्रपत्र क्रमांक - 03

इन्दौर शहर हेतु

सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्कीम मिल्क पावडर वितरक

❖ नियुक्ति हेतु आवेदन ❖

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

1-	आवेदक का नाम	▪	——————————
2-	पिता/पति का नाम	▪	——————————
3-	स्थाई पता (प्रमाण सहित)	▪	—————————— —————————— ——————————
	(अ) दूरभाष नं.	▪	
	(ब) मोबाईल नं.	▪	
	(स) पेनकार्ड नं.	▪	
4-	शैक्षणिक योग्यता	▪	——————————
5-	आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	▪	—————————— —————————— ——————————
6-	वर्तमान व्यवसाय	▪	——————————

……/7/….

प्रपत्र कमांक - 03

7- वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ▪ ——————————————

8- वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ▪ ——————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। (गत दो वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करे। – – – – – – – – – – – – –

9- वितरकशिप हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ▪ –

10- (अ) पान नम्बर ▪ – – – – – – – – – – – – –

(ब) G.S.T. पंजीयन नम्बर। ▪ – – – – – – – – – – – – –

11- धरोहर राशि। ▪ रू.– – – – – – – – – – – – –

(D.D./M.R. कमांक)
दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)

12- संघ की प्रचलित नीति अनुसार निर्धारित वितरक मार्जिन, पर कार्य सहमति सहित आवेदन प्रस्तुत करता हूॅं। कार्य अवधि के मध्य जब जब भी वितरक मार्जिन मे कमी/वृद्धि होगी मुझे बिना किसी विरोध के मान्य रहेगी।

दिनांक —आवेदक के हस्ताक्षर—

(पूरा नाम)

❨ अनुबंध ❩

प्रपत्र कमांक - 04

यह अनुबंध **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चादां तलावली, ए.,बी.रोड, मागंलिया, इन्दौर (जिसे आगे ''प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ'' सम्बोधित किया गया है,) एवं **मेसर्स/श्री** ——————————————————(प्रोप्रा. ——————————————) ——————————————— **इन्दौर** (जिन्हे आगे ''द्वितीय पक्ष/क्षेत्रीय दुग्ध पदार्थ, मक्खन एवं स्कीम मिल्क पावडर वितरक'' के नाम से सम्बोधित किया गया है), के मध्य निम्न शर्तो पर क्षेत्रीय दुग्ध पदार्थ वितरकशिप कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है।

(1) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची दुग्ध पदार्थ, मक्खन, स्कीम मिल्क पावडर विक्रय/वितरण हेतु इन्दौर शहर के क्षेत्र कमांक ——— मे पूर्णतः अस्थायी रूप से एक वर्ष की अवधि हेतु दिनांक ———————— से वितरक नियुक्त किया गया है।

(2) यह कि वर्तमान मे द्वितीय पक्ष द्वारा संघ मे प्रतिभूति स्वरूप राशि रू. --/. (अक्षरी रू. ————————मात्र) नगद जमा की गई है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य मे प्रतिभूति राशि मे वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।

(3) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध पदार्थो, मक्खन, एवं स्कीम मिल्क पावडर के विक्रय नेटवर्क को सुदृढ एवं मजबूत करने के उद्धेश्य से क्षेत्र कमांक ————— इन्दौर हेतु वितरक नियुक्त किया गया है, अतः द्वितीय पक्ष/वितरक को संघ के वितरण डाक से दुग्ध पदार्थो, मक्खन, स्कीम मिल्क पावडर का प्रदाय उनके रेफरीजरेटेड युक्त वितरण वाहन मे वितरक दर पर किया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा दुग्ध संघ के बैंक खाते मे RTGS/NEFT द्वारा अग्रिम करना होगा। किन्ही आकस्मिक कारण के चलते वितरक द्वारा दी गई अग्रिम मांग अनुसार दुग्ध पदार्थो की आपूर्ति नही की जा सकती है तो द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा मान्य करना होगा, तथा किन्ही एक विकेता की मांग मे कटोत्रा नही करते हुए समान कटोत्रा कर वितरण करना होगा।

(4) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा नियमित दुग्ध पदार्थो की मांग संघ के निर्धारित विभिन्न पैकिंग (श्रीखंड/लस्सी/छैना रबडी/नमकीन छॉछ/सादाछॉछ/सादादही/बायोमैजिक दही/मीठा सुगंधित दूध बॉटल/पनीर/मावा/पेडा/रसगुल्ला/ /गुलाब जामुन/मक्खन/स्किम्ड मिल्क पावडर आदि) अनुसार न्यूनतम 02 दिवस पूर्व अग्रिम मे देना होगी, तथा उसी अनुसार दुग्ध पदार्थ प्राप्त करेगें, तथा उसका लेखा—जोखा रखेगें।

प्रपत्र कमांक - 04

(5) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को आवंटित क्षेत्र मे ही दुग्ध पदार्थो, मक्खन, स्कीम मिल्क पावडर का विक्रय करेगें, क्षेत्र से बाहर विक्रय नही कर सकेगे। बाहर के क्षेत्र मे विक्रय करने पर अन्य वितरक के विक्रय लक्ष्य प्रभावित होते है, तथा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा निर्मित होती है। क्षेत्र विभाजन अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा।

(6) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/वितरक को दुग्ध पदार्थ मक्खन, स्कीम मिल्क पावडर विक्रय वृद्धि हेतु संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जावेगे जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान मे विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश मे उल्लेखित किये गये है।

(7) यह कि द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा दुग्ध पदार्थो के साथ प्रतिदिन जितनी भी मिल्क क्रेटें सुपर स्टाकिस्ट अथवा संघ से प्राप्त की जावेगी, उसकी वापसी 100% उसी अनुसार करना अनिवार्य होगा। अन्यथा रू. 50/- प्रतिदिन का आर्थिक दंड वसूल किया जावेगा।

(8) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को यह अधिकार रहेगा कि द्वितीय पक्ष के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छेः माह अथवा एक वर्ष मे कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेन्सी आगे ओर बढायी जाना है, अथवा नही का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमे मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेगे। जिसमे द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नही रहेगा।

(9) यह कि वितरकशिप कार्य से संबंधित कोई शिकायत अथवा सुझाव हो तो द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा लिखित मे दुग्ध संघ को प्रस्तुत करेगें, जिस पर प्रबंध द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(10) यह कि द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा किन्ही भी कारण से एजेन्सी आगे संचालित नही करना चाहते है तो उसकी सूचना लिखित मे एक माह पूर्व प्रस्तुत करना होगी । यदि प्रबंध द्वारा वितरक का आवेदन मान्य किया जाता है तो 02 माह पश्चात समस्त आवश्यक कार्यालयीन कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिभूति राशि चैक के द्वारा वापसी की जावेगी।

(11) यह कि संघ के वितरण डाक से द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा (श्रीखंड/लस्सी/छैना रबडी/नमकीनछॉछ/सादाछॉछ/सादादही/बायोमैजिक दही/मीठा सुगंधित दूध बॉटल/पनीर/मावा/पेडा/रसगुल्ला/गुलाब जामुन/मक्खन/स्किम्ड मिल्क पावडर आदि) माल प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेगें, इसके पश्चात किसी भी शिकायत को मान्य नही किया जावेगा।

(12) यह कि द्वितीय पक्ष/वितरक को आयकर PAN No. एवं विक्रय कर/ GST सम्बन्धी किन्ही भी आवश्यकता हेतु कार्यालय मे उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव मे यदि संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी। …../10/….

प्रपत्र क्रमांक - 04

(13) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत् किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारीयों द्वारा यदि संघ दुग्ध पदार्थो, मक्खन, स्कीम मिल्क पावडर के सेम्पल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष उन्हे सील बन्द ईकाई (दुग्ध पदार्थ/) ही देवेगें, किसी भी स्थिति मे खुल्ला दुग्ध पदार्थ नही देगें, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियॉ भी कार्यालय मे देना अनिवार्य होगी।

(14) यह कि द्वितीय पक्ष ''सॉची'' दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत वितरक नियुक्त है, अतः छोटे छोटे विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी सम्बन्ध बना कर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड दुग्ध पदार्थो के विक्रय मे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हे एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय मे सहायता होती है।

(15) यह कि द्वितीय पक्ष ''सॉची'' दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु क्षेत्रीय अधिकृत वितरक नियुक्त है, अतः केवल सॉची ब्राण्ड दुग्ध पदार्थो का ही विक्रय करेगें। किसी अन्य ब्राण्ड के पदार्थो का विक्रय करते पाये जाने अथवा इसका प्रमाण उपलब्ध होने पर बिना कारण बताये वितरकशिप से पृथक किया जाकर जमा प्रतिभूति राजसात करने का अधिकार दुग्ध संघ सुरक्षित रखता है।

(16) यह कि उक्त अनुबंध को प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटीस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमे दौनो पक्षों मे लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा।

(17) यह कि उक्त अनुबंध दौनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

(18) यह कि उपरोक्त शर्तो मे व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमे द्वितीय पक्ष की सहमति भी ली जावेगी। किन्तु यह आवश्यक नही कि सहमति को माना जावे।

(19) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे अध्यक्ष, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं दौनो पक्षों को मान्य होगा।

...../11/....

प्रपत्र क्रमांक - 04

(20) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र, सहकारी न्यायालय, इन्दौर रहेगा।

उपरोक्त शर्तो पर दौनो पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास मे इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय मे निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दौनो पक्षों को मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

(––––– S/O––––––––)
वास्ते– ––––––––

⌧ गवाह ⌫

(1) हस्ताक्षर	(2) हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पिता	पिता ....
पता	पता ....
....	....

-X-